

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
(Railway Board)**

**S. No.PC-VI/234**

<http://www.airfindia.com>

**RBE No.159/2010**

**No.PC-VI/2010//RSRP/4**

**New Delhi, dated 02.11.2010**

**The GMs/CAO(R)  
All Indian Railways & Production Units  
(As per mailing list)**

**Subject: Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 – Schedules  
for Revised Pay Scales of Pay – Clarification regarding  
Additional Allowance.**

-:-

Please refer to item 3 of Annexure 'B' of Ministry of Railways letter No.PC-VI/2008//RSRP/1 dated 11.09.2008 (S.No.PC-VI/2 & RBE No.108/2008) circulating schedules of revised pay structure for running staff effective from 1.1.2006. Based on the recommendations of the 6<sup>th</sup> CPC, the concept of Additional Allowance (on which DA is payable) has also been introduced for certain specified categories of running staff as laid down therein. Doubts are being expressed regarding the date of effect of grant of Additional Allowance to the above categories. It is clarified that the Additional Allowance is admissible to the specified categories of running staff alongwith the revised pay structure from the date the concerned employees opt the revised pay structure. Further, except Dearness Allowance, no other benefit is admissible on Additional Allowance.

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.



**(U. K. Tiwari)**

**Dy. Director, Pay Commission-VI  
Railway Board.**

**No.PC-VI/2010//RSRP/4**

**New Delhi, dated 02.11.2010**

**Copy to Deputy Comptroller and Auditor and Auditor General of  
India(Railways), Room No.224, Rail Bhavan, New Delhi.(with 40 spares).**



**for Financial Commissioner/Railways.**

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्र.सं. पीसी-VI/234

सं. पी सी-VI/2010/आई/आरएसआरपी/4

आरबीई सं. 159/2010

नई दिल्ली, दिनांक: 02.11.2010

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (रेलें)  
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।  
(डाक सूची के अनुसार)

**विषय: रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008- वेतन के संशोधित वेतनमानों के लिए अनुसूचियां - अतिरिक्त भत्ते के बारे में स्पष्टीकरण।**

कृपया रेल मंत्रालय के दिनांक 11.09.2008 के पत्र सं. पीसी-VI/2008/आई/आरएसआरपी/1 (क्रम सं. पीसी-VI/2 एवं आरबीई सं. 108/2008) के अनुबंध 'बी' की मद 3 देखें, जिसमें रनिंग कर्मचारियों के लिए 01.01.2006 से प्रभावी संशोधित वेतन संरचना की अनुसूचियां परिपत्रित की गई हैं। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अतिरिक्त भत्ते (जिस पर महंगाई भत्ता देय है) की अवधारणा को भी इसमें यथा निर्धारित रनिंग कर्मचारियों की कुछ विनिर्दिष्ट कोटियों के लिए शुरू किया गया है। उपर्युक्त कोटियों के लिए अतिरिक्त भत्ता प्रदान करने की प्रभावी तारीख के संबंध में शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि रनिंग कर्मचारियों की विनिर्दिष्ट कोटियों के लिए संबंधित कर्मचारियों द्वारा संशोधित वेतन संरचना ऑप्ट करने की तारीख से संशोधित वेतन संरचना सहित अतिरिक्त भत्ता स्वीकार्य है। इसके अलावा, महंगाई भत्ते को छोड़कर अतिरिक्त भत्ते पर कोई अन्य लाभ स्वीकार्य नहीं है।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।




(यू.के. तिवारी)

उप निदेशक, वेतन आयोग-VI  
रेलवे बोर्ड

सं. पी सी-VI/2010/आई/आरएसआरपी/4

नई दिल्ली, दिनांक: 02.11.2010

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), नई दिल्ली को प्रेषित (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।



कृते वित्त आयुक्त, रेलें।